न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 57 / 2018

1. नाथूलाल पुत्र सुसीलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी 2546 ग्राम माचडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

....
वादीगण

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र स्व0 कानाराम
2. गोपाल पुत्र स्व0 कानाराम
3. नानूराम पुत्र स्व0 कानाराम
4. पूरण मल पुत्र स्व0 कानाराम

समस्त जातियान् बलाई समस्त निवासियान् बलाईयों की ढाणी, ग्राम नारदपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– (1) श्री नीरज चौधरी अधिवक्ता – वादी की ओर से
(2) श्री मनोज भारद्वाज अधिवक्ता – अनुपस्थित

दिनांक:– 07.04.2022

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादी ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण की आराजी कृषि भूमि जिसका खसरा नम्बर 266 / 476 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसके समस्त भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मनमोहन शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा के नाम से दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि को वादी द्वारा दिनांक 22.09.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया गया। जिसके पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज कर दिया गया। क्रय करने के पश्चात से लेकर आज तक उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादी ही [illegible] उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त वर्णित सम्पति का [illegible] मात्र मालिक स्वामी है। वादी की उक्त कृषि भूमि के नजदीक [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास [illegible]।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.04.2018 को ला[illegible]रियों से लेस होकर वादी की उक्त कृषि भूमि पर आ गये और वादी को अकेला पाकर उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास करने लगे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास ना करें ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया और प्रतिवादी संख्या 2,3,4 की ओर से अनेको अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के विरूद्व दिनांक 12.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आदिनांक तक वकील प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित होने से कोई जवाब दावा पेंश नही किया गया अनेको अवसर दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नही अतः इनका जवाब दावा दिनांक 25.02.2022 को बंद कर दिया गया ।

PW1 नाथूलाल पुत्र सुसीलाल निवासी 2546 ग्राम माचडा तहसील आमेर जिला जयपुर अभिलेख साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

1. जमाबंदी खसरा नम्बर 266 / 476 की सत्यापित प्रति दिनांक 05.03.2018,
2. नक्शा ट्रेस ख0 नम्बर 266 / 476 की सत्यापित प्रति दिनांक 05.03.2018,
3. खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 266 / 476 की सत्यापित प्रति दिनांक 03.04.2018,
4. विक्रय पत्र की फोटो प्रति।

पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस निहित थी तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया।

वादी को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादी की उक्त भूमि के नजदीक प्रतिवादीगण की भूमि स्थित हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी पर उक्त कृषि भूमि को लगातार बेचने का दबाव बनाया जाता रहा है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 266 / 476 का वादी रिकार्डेड खातेदार है, यह जमाबंदी (संवत 2072–2075) से सिद्व है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकॉर्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। जमाबंदी (संवत 2072–2075) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा नम्बर 266 / 476 पर कब्जा है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 266 / 476 की कृषि भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास ना करें ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 57 / 2018

नाथूलाल पुत्र सुसीलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी 2546 ग्राम माचडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

....
वादीगण

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र स्व0 कानाराम
2. गोपाल पुत्र स्व0 कानाराम
3. नानूराम पुत्र स्व0 कानाराम
4. पूरण मल पुत्र स्व0 कानाराम

समस्त जातियान् बलाई समस्त निवासियान् बलाईयों की ढाणी, ग्राम नारदपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाता है। तद् अनुसार खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 266 / 476 की कृषि भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास ना करें ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 07.04.2022 को जारी किया ।

दस्तखत—–—
ओहदा—–—

सहायक कलेक्टर
आमेर म0 जयपुर
सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	[illegible]	[illegible]	[illegible]
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	[illegible] रूपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प [illegible]	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प [illegible]		
महन्ताना वकील			महन्ताना [illegible]		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान	4 रूपये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested